

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 168/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-11.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 11.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- फूलपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ टाप-टेन अपराधी/हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 11.05.2025 उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पलिया पूल के पास से अभियुक्त अशहद पुत्र अबरार अहमद निवासी नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ को दिनांक 11.05.2025 को समय करीब 00.11 बजे एक अदद कट्टा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ को जुर्म धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बता कर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अशहद पुत्र अबरार अहमद निवासी नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद कट्टा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 -234/2025 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. अशहद पुत्र अबरार अहमद निवासी नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1-208/2017 147/323/504/506 भादवि0 फूलपुर आजमगढ़

2-74/20203/5/8/गोबध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता व 307 भादवि0 कोतवाली आजमगढ़

3-48/20213/5/8/गोबध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता फूलपुर आजमगढ़

4-189/2022 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ़

5- 234/253/25/27 शस्त्र अधि0 फूलपुर आजमगढ़



02. थाना मुबारकपुर: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 05.09.2024 को थाना मुबारकपुर पर वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा स्वयं की नाबालिग पुत्री के घर से बिना किसी को बताये कहीं चले जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 348/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 गिरीश कुमार शर्मा द्वारा की जा रही है। विवेचना से धारा 64/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढोत्तरी एवं अभियुक्त बेचू गोड़ पुत्र जगदीश लाल गोड़ निवासी 86, बक्सीपुर थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 11.05.2025 को उ0नि0 गिरीश कुमार शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बेचू गोड़ पुत्र जगदीश लाल गोड़ निवासी 86, बक्सीपुर थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर को नीबी बुजुर्ग मोड़ से समय करीब 13.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-बेचू गोड़ पुत्र जगदीश लाल गोड़ निवासी 86, बक्सीपुर थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 348/2024 धारा 137(2)/ 64/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 गिरीश शर्मा मय हमराह उ0नि0 आशुतोष मौर्य, हे0का0 मनोज कन्नौजिया व का0 संदीप शर्मा थाना मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना- जीयनपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 11.05.2025 को उ0नि0 पवन यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान नदवा सराय जाने वाली रोड पर भटौली पुलिस के पास से नियमानुसार समय 06.30 बजे अभियुक्त आलोक कुमार पुत्र स्व0 हरिन्द्र निवासी ग्राम ताजपुर थाना बेलौली रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-आलोक कुमार पुत्र स्व0 हरिन्द्र निवासी ग्राम ताजपुर थाना बेलौली रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर



04.थाना निजामाबाद: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 04.05.25 को वादी की नाबालिग बहन उम्र लगभग 14 वर्ष को अभियुक्त आमिर पुत्र फैजान बहला फुसलाकर कर अगवा कर लिया। वादी ने आमिर के घर इस घटना के बारे में शिकायत देने गया तो आमिर के बड़े भाई अकबाल, डम्पी ने गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। जिसके सम्बन्ध में वादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.05.25 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 161/25 धारा 87,137(2),352,351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया। दिनांक 11.05.25 को पीड़िता को बरामद करने के पश्चात बयान व मेडिकल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65 (1) BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.05.25 को उ0नि0 प्रमोद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त आमिर पुत्र फैजान निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को सीही पुलिया रोड पास से समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

